LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

हर पल आपके साथ

एक स्मार्ट पहल आजीवन ख़ुशियों की गारंटी के लिए

एलआईसी का

स्मार्ट पेंशन

यूआईएन: 512N386V01 प्लान संख्या: 879

एक नॉन-पार, नॉन-लिंक्ड, व्यक्तिगत, बचत, तत्काल वार्षिकी योजना

ऑनलाइन भी उपलब्ध

- एकल प्रीमियम तत्काल वार्षिकी योजना
- आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप वार्षिकी विकल्पों की विस्तृत श्रृंखला
- एकल जीवन वार्षिकी और संयुक्त जीवन वार्षिकी विकल्पों में से चुनने की सुविधा
- प्रवेश के समय न्यूनतम आयु – 18 वर्ष

LIC / R1 / 2024-25 / 50 / SB

हमारा वॉट्सएप नं. 8976862090 कहिए 'Hi'

LIC मोबाइल ऐप डाउनलोड करें

विज़िट करें: licindia.in

कॉल सेन्टर सर्विस (022) 6827 6827

अधिक जानकारी के लिए, अपने बीमा एजेन्ट/निकटतम एलआईसी शाखा से संपर्क करें या अपने शहर का नाम 56767474 पर एसएमएस करें

हमें यहाँ फॉलो करें: LIC India Forever | IRDAI Regn No.: 512

एलआईसी का स्मार्ट पेंशन (यूआईएनः 512N386V01)
(एक असहभागी, असंबद्ध, व्यक्तिगत, बचत, तत्काल वार्षिकी योजना)

एलआईसी की स्मार्ट पेंशन एक असहभागी, असंबद्ध, व्यक्तिगत/समूह, बचत, तत्काल वार्षिकी योजना है, जिसके अंतर्गत एकल जीवन के साथ-साथ संयुक्त जीवन प्रकार की वार्षिकी के लिए कई प्रकार के वार्षिकी विकल्प उपलब्ध होते हैं।

संयुक्त जीवन वार्षिकी परिवार के किसी भी दो स्वशाखीय वंशजों/आरोही सदस्यों (अर्थात दादा-दादी, माता-पिता, बच्चे, पोते-पोतियां) या पति/पत्नी या भाई-बहन या सास-ससुर के बीच ली जा सकती है।

सभी वार्षिकी विकल्पों के अंतर्गत वार्षिकी दरों की गारंटी पॉलिसी के प्रारंभ में दी जाती है।

यह एक असहभागी उत्पाद है, जिसके अंतर्गत मृत्यु या उत्तरजीविता पर देय हितलाभ गारंटीकृत और निश्चित होते हैं (चुने गए वार्षिकी विकल्प के अनुसार), चाहे वास्तविक अनुभव कुछ भी रहे। इसलिए यह उत्पाद पॉलिसी बोनस आदि या अधिशेष में हिस्सेदारी जैसे किसी भी विवेकाधीन हितलाभ के लिए पात्र नहीं है।

इस योजना को अभिकर्ताओं/अन्य मध्यस्थों, जिनमें पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन्स - लाइफ इंश्योरेंस (पीओएसपी-एलआई) / कॉमन पब्लिक सर्विस सेंटर (सीपीएससी-एसपीवी) से ऑफलाइन, और साथ ही वेबसाइट www.licindia.in के माध्यम से सीधे ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है।

भावी पॉलिसीधारकों को सूचित किया जाता है कि क्रय संबंधी कोई भी निर्णय लेते समय उनका निर्णय सोचा-समझा हो, इस हेतु उनके द्वारा इसी के समान अन्य उपलब्ध उत्पादों का संदर्भ लिया जा सकता है।

1. प्रमुख विशेषताएँः

- एकल प्रीमियम तत्काल वार्षिकी योजना
- आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप वार्षिकी विकल्पों की विस्तृत श्रंखला
- एकल जीवन वार्षिकी और संयुक्त जीवन वार्षिकी विकल्पों में से चुनने की सुविधा
- वार्षिकी भुगतान की विधि - वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक और मासिक
- उच्च क्रय मूल्य के लिए प्रोत्साहन-राशि
- मौजूदा पॉलिसीधारक और मृतक पॉलिसीधारक के नामित/लाभार्थी के लिए प्रोत्साहन राशि
- उपलब्ध विकल्पः
    - o तरलता विकल्प
    - o उन्नत वार्षिकी विकल्प
    - o वार्षिकी संचय विकल्प
- भुगतान के लिए उपलब्ध विकल्प (यदि कोई हो):

- o एकमुश्त मृत्यु हितलाभ
- o मृत्यु हितलाभ का वार्षिकीकरण
- o किस्तों में

2. वार्षिकी विकल्पः

पॉलिसीधारक के पास चुनने के लिए निम्नलिखित वार्षिकी विकल्प उपलब्ध हैं:

वार्षिकी प्रकार	वार्षिकी विकल्प	
एकल जीवन	विकल्प –	जीवन वार्षिकी
	विकल्प – बी1	5 वर्ष और उसके बाद जीवन के लिए निश्चित वार्षिकी
	विकल्प – बी2	10 वर्ष और उसके बाद जीवन के लिए निश्चित वार्षिकी
	विकल्प – बी3	15 वर्ष और उसके बाद जीवन के लिए निश्चित वार्षिकी
	विकल्प – बी4	20 वर्ष और उसके बाद जीवन के लिए निश्चित वार्षिकी
	विकल्प – सी1	3% प्रति वर्ष की साधारण दर से बढ़ने वाली जीवन वार्षिकी
	विकल्प – सी2	6% प्रति वर्ष की साधारण दर से बढ़ने वाली जीवन वार्षिकी
	विकल्प – डी	शेष क्रय मूल्य की वापसी के साथ जीवन वार्षिकी
	विकल्प – ई1	75 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद क्रय मूल्य पर 50% वापसी के साथ जीवन वार्षिकी
	विकल्प – ई2	75 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद क्रय मूल्य पर 100% वापसी के साथ जीवन वार्षिकी
	विकल्प – ई3	80 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद क्रय मूल्य पर 50% वापसी के साथ जीवन वार्षिकी
	विकल्प – ई4	80 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद क्रय मूल्य पर 100% वापसी के साथ जीवन वार्षिकी
	विकल्प – ई5	76 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद से 95 वर्ष की आयु तक प्रत्येक वर्ष क्रय मूल्य पर 5% वापसी के साथ जीवन वार्षिकी
	विकल्प – एफ	क्रय मूल्य की वापसी के साथ जीवन वार्षिकी
संयुक्त जीवन	विकल्प – जी1	संयुक्त जीवन वार्षिकी, जिसमें प्राथमिक वार्षिकीधारक की मृत्यु पर द्वितीयक वार्षिकीधारक को वार्षिकी का 50% देने का प्रावधान है।
	विकल्प – जी2	संयुक्त जीवन वार्षिकी, जिसमें प्राथमिक वार्षिकीधारक की मृत्यु पर द्वितीयक वार्षिकीधारक को वार्षिकी का 100% देने का प्रावधान है।

	विकल्प – एच1	3% प्रति वर्ष की साधारण दर से बढ़ने वाली संयुक्त जीवन वार्षिकी, जिसमें प्राथमिक वार्षिकीधारक की मृत्यु पर द्वितीयक वार्षिकीधारक को वार्षिकी का 50% देने का प्रावधान है।
	विकल्प – एच2	6% प्रति वर्ष की साधारण दर से बढ़ने वाली संयुक्त जीवन वार्षिकी, जिसमें प्राथमिक वार्षिकीधारक की मृत्यु पर द्वितीयक वार्षिकीधारक को वार्षिकी का 50% देने का प्रावधान है।
	विकल्प – आई1	3% प्रति वर्ष की साधारण दर से बढ़ने वाली संयुक्त जीवन वार्षिकी, जिसमें प्राथमिक वार्षिकीधारक की मृत्यु पर द्वितीयक वार्षिकीधारक को वार्षिकी का 100% देने का प्रावधान है।
	विकल्प – आई2	6% प्रति वर्ष की साधारण दर से बढ़ने वाली संयुक्त जीवन वार्षिकी, जिसमें प्राथमिक वार्षिकीधारक की मृत्यु पर द्वितीयक वार्षिकीधारक को वार्षिकी का 100% देने का प्रावधान है।
	विकल्प – जे	संयुक्त जीवन वार्षिकी, जिसमें वार्षिकी के 100% का भुगतान तब तक करने का प्रावधान है, जब तक वार्षिकीधारकों में से एक जीवित रहता है और अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु पर क्रय मूल्य की वापसी होती है।

चयनित वार्षिकी विकल्प में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

3. पात्रता शर्तें और अन्य प्रतिबंध, यदि योजना को पीओएसपी-एलआई/सीपीएससी-एसपीवी के अलावा अन्य अभिकर्ताओं/मध्यस्थों के माध्यम से लिया गया है:

ए.	न्यूनतम क्रय मूल्य*	रु.1,00,000/– टिप्पणी: उपरोक्त न्यूनतम क्रय मूल्य को अनुच्छेद 3.सी में निर्दिष्ट न्यूनतम वार्षिकी मानदंड को पूरा करने के लिए उचित रूप से बढ़ाया जाएगा।
बी.	अधिकतम क्रय मूल्य	कोई सीमा नहीं (हालाँकि, अधिकतम क्रय मूल्य बोर्ड अनुमोदित बीमांकन नीति के अनुसार स्वीकृति के अधीन होगा)
सी.	न्यूनतम वार्षिकी*	**वार्षिकी विधि** / **मासिक** / **त्रैमासिक** / **अर्धवार्षिक** / **वार्षिक** **न्यूनतम वार्षिकी** / रु.1,000 प्रति माह / रु.3,000 प्रति तिमाही / रु.6,000 प्रति अर्द्धवार्षिक / रु.12,000 प्रति वर्ष
डी.	अधिकतम वार्षिकी	कोई सीमा नहीं
ई.	प्रीमियम भुगतान की विधि	एकल प्रीमियम
एफ.	प्रवेश के समय न्यूनतम एवं अधिकतम आयु (वर्षों में)	वार्षिकीग्राही/प्राथमिक/माध्यमिक वार्षिकीग्राही की प्रवेश के समय न्यूनतम/अधिकतम आयु (पिछले जन्मदिन) निम्नानुसार होगी:

वार्षिकी विकल्प	प्रवेश के समय न्यूनतम आयु	प्रवेश के समय अधिकतम आयु
वार्षिकी विकल्प एफ	18	100
वार्षिकी विकल्प – ई1 और ई2	18	65
वार्षिकी विकल्प – ई3, ई4 और ई5	18	70
वार्षिकी विकल्प – ए, बी1, बी2, बी3, बी4, सी1, सी2, डी, जी1, जी2, एच1, एच2, आई1, आई2, जे	18	85

टिप्पणी:

- संयुक्त जीवन के मामले में, उपरोक्त न्यूनतम और अधिकतम आयु, सीमाएं दोनों पर लागू होंगी।
- हालाँकि, उपरोक्त प्रवेश प्रतिबंध की न्यूनतम आयु दिव्यांगजन जीवन के लिए लागू नहीं होगी, यदि योजना को अनुच्छेद 8(ई) में निर्दिष्ट विकलांगता वाले आश्रित व्यक्ति (दिव्यांगजन) के हितलाभ के लिए विकल्प जी2 या जे के अंतर्गत खरीदा गया है।

***आपत्तिजनक मामलों में, जहां न्यूनतम वार्षिकी और न्यूनतम क्रय मूल्य रु. 1,00,000/– लागू नहीं होंगे:**

(ए) यदि योजना को आश्रित विकलांग व्यक्ति (दिव्यांगजन) के हितलाभ के लिए क्रय किया गया है, जैसा कि नीचे अनुच्छेद 8.(एफ) में उल्लेख किया गया है, तो प्रस्ताव को न्यूनतम वार्षिकी पर किसी प्रतिबंध के बिना अनुमति दी जाएगी और ऐसे मामलों में न्यूनतम क्रय मूल्य रु. 50,000/– होगा।

(बी) यदि योजना को पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा विनियमित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के सबस्क्राइबरों द्वारा निर्गम पर खरीदा गया है, जैसा कि अनुच्छेद 8(ई) में बताया गया है, तो न्यूनतम वार्षिकी एवं न्यूनतम क्रय मूल्य पर प्रतिबंध समय–समय पर यथा संशोधित पीएफआरडीए नियमों एवं विनियमों के अनुसार होंगे। हालाँकि, ऐसे मामलों के अंतर्गत अनुमत न्यूनतम क्रय मूल्य रु. 50,000 से कम नहीं होगा।

4. हितलाभ:

ए) उत्तरजीविता/मृत्यु हितलाभ:

लागू वार्षिकी विकल्पों के अंतर्गत वार्षिकीधारक(कों) के जीवित रहने या

मृत्यु पर देय हितलाभ निम्नानुसार होंगे:

वार्षिकी विकल्प		लाभ
विकल्प ए	जीवन वार्षिकी	• जब तक वार्षिकी प्राप्तकर्ता जीवित है, वार्षिकी भुगतान बकाया के रूप में किया जाएगा। • वार्षिकीग्राही की मृत्यु होने पर कुछ भी देय नहीं होगा तथा वार्षिकी भुगतान तत्काल बंद हो जाएगा।
विकल्प बी1	5 वर्ष और उसके बाद जीवन के लिए निश्चित वार्षिकी	• जब तक वार्षिकी प्राप्तकर्ता जीवित है, वार्षिकी भुगतान बकाया के रूप में किया जाएगा। • पॉलिसी के प्रारंभ होने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के दौरान वार्षिकीधारक की मृत्यु होने पर, वार्षिकी का भुगतान नामित व्यक्ति को पॉलिसी के प्रारंभ होने की तिथि से 5 वर्ष की समाप्ति तक किया जाएगा। इस 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर, वार्षिकी भुगतान तुरंत बंद हो जाएगा। • पॉलिसी प्रारंभ होने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के बाद वार्षिकीधारक की मृत्यु होने पर वार्षिकी भुगतान तत्काल बंद हो जाएगा।
विकल्प बी2	10 वर्ष और उसके बाद जीवन के लिए निश्चित वार्षिकी	• जब तक वार्षिकी प्राप्तकर्ता जीवित है, वार्षिकी भुगतान बकाया के रूप में किया जाएगा। • पॉलिसी के प्रारंभ होने की तिथि से 10 वर्ष की अवधि के दौरान वार्षिकीधारक की मृत्यु होने पर, वार्षिकी का भुगतान नामित व्यक्ति को पॉलिसी के प्रारंभ होने की तिथि से 10 वर्ष की समाप्ति तक किया जाएगा। इस 10 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर, वार्षिकी भुगतान तुरंत बंद हो जाएगा। • पॉलिसी प्रारंभ होने की तिथि से 10 वर्ष की अवधि के बाद वार्षिकीधारक की मृत्यु होने पर वार्षिकी भुगतान तत्काल बंद हो जाएगा।
विकल्प बी3	15 वर्ष और उसके बाद जीवन के लिए निश्चित वार्षिकी	• जब तक वार्षिकी प्राप्तकर्ता जीवित है, वार्षिकी भुगतान बकाया के रूप में किया जाएगा। • पॉलिसी के प्रारंभ होने की तिथि से 15 वर्ष की अवधि के दौरान वार्षिकीधारक की मृत्यु होने पर, वार्षिकी का भुगतान नामित व्यक्ति को पॉलिसी के प्रारंभ होने की तिथि से 15 वर्ष की समाप्ति तक किया जाएगा। इस 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर, वार्षिकी भुगतान तुरंत बंद हो जाएगा। • पॉलिसी प्रारंभ होने की तिथि से 15 वर्ष की अवधि के बाद वार्षिकीधारक की मृत्यु होने पर वार्षिकी भुगतान तत्काल बंद हो जाएगा।

विकल्प बी4	20 वर्ष और उसके बाद जीवन के लिए निश्चित वार्षिकी	• जब तक वार्षिकी प्राप्तकर्ता जीवित है, वार्षिकी भुगतान बकाया के रूप में किया जाएगा। • पॉलिसी के प्रारंभ होने की तिथि से 20 वर्ष की अवधि के दौरान वार्षिकीधारक की मृत्यु होने पर, वार्षिकी का भुगतान नामित व्यक्ति को पॉलिसी के प्रारंभ होने की तिथि से 20 वर्ष की समाप्ति तक किया जाएगा। इस 20 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर, वार्षिकी भुगतान तुरंत बंद हो जाएगा। • पॉलिसी प्रारंभ होने की तिथि से 20 वर्ष की अवधि के बाद वार्षिकीधारक की मृत्यु होने पर वार्षिकी भुगतान तत्काल बंद हो जाएगा।
विकल्प सी1	3% प्रति वर्ष की साधारण दर से बढ़ने वाली जीवन वार्षिकी	• जब तक वार्षिकी प्राप्तकर्ता जीवित है, वार्षिकी भुगतान बकाया के रूप में किया जाएगा। • प्रत्येक पूर्ण पॉलिसी वर्ष के लिए वार्षिकी भुगतान 3% प्रति वर्ष की साधारण दर से बढ़ेगा। • वार्षिकीग्राही की मृत्यु होने पर कुछ भी देय नहीं होगा तथा वार्षिकी भुगतान तत्काल बंद हो जाएगा।
विकल्प सी2	6% प्रति वर्ष की साधारण दर से बढ़ने वाली जीवन वार्षिकी	• जब तक वार्षिकी प्राप्तकर्ता जीवित है, वार्षिकी भुगतान बकाया के रूप में किया जाएगा। • प्रत्येक पूर्ण पॉलिसी वर्ष के लिए वार्षिकी भुगतान 6% प्रति वर्ष की साधारण दर से बढ़ेगा। • वार्षिकीग्राही की मृत्यु होने पर कुछ भी देय नहीं होगा तथा वार्षिकी भुगतान तत्काल बंद हो जाएगा।
विकल्प डी	शेष क्रय मूल्य की वापसी के साथ जीवन वार्षिकी	• जब तक वार्षिकी प्राप्तकर्ता जीवित है, वार्षिकी भुगतान बकाया के रूप में किया जाएगा। • वार्षिकीग्राही की मृत्यु होने पर, वार्षिकी भुगतान तत्काल बंद हो जाएगा और क्रय मूल्य के शेष के बराबर मृत्यु हितलाभ, अर्थात क्रय मूल्य में से (वार्षिकीग्राही की मृत्यु की तिथि तक किए गए सभी वार्षिकी भुगतानों के योग) को घटाकर उसके बराबर राशि नामिती(यों) को देय होगी। • यदि वार्षिकीधारक की मृत्यु की तिथि तक किए गए सभी वार्षिकी भुगतानों की राशि क्रय मूल्य से अधिक है, तो मृत्यु पर कोई हितलाभ देय नहीं होगा।

विकल्प ई1	75 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद क्रय मूल्य की 50% वापसी के साथ जीवन वार्षिकी	• जब तक वार्षिकी प्राप्तकर्ता जीवित है, वार्षिकी भुगतान बकाया के रूप में किया जाएगा। • वार्षिकी भुगतान के अतिरिक्त, वार्षिकीधारक के जीवित रहने पर, 75 वर्ष की आयु पूरी होने के साथ या उसके तुरंत बाद आने वाली पॉलिसी वर्षगांठ पर क्रय मूल्य की 50% पूर्व वापसी देय होगी। • वार्षिकीग्राही की मृत्यु होने पर, वार्षिकी भुगतान तत्काल बंद हो जाएगा तथा क्रय मूल्य के बराबर मृत्यु हितलाभ, जिसमें से मृत्यु की तिथि तक पहले से भुगतान किए गए क्रय मूल्य की पूर्व वापसी, यदि कोई हो, को घटाकर उसके बराबर राशि नामिती(यों) को देय होगी।
विकल्प ई2	75 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद क्रय मूल्य की 100% वापसी के साथ जीवन वार्षिकी	• जब तक वार्षिकी प्राप्तकर्ता जीवित है, वार्षिकी भुगतान बकाया के रूप में किया जाएगा। • वार्षिकी भुगतान के अतिरिक्त, वार्षिकीधारक के जीवित रहने पर, 75 वर्ष की आयु पूरी होने के साथ या उसके तुरंत बाद आने वाली पॉलिसी वर्षगांठ पर क्रय मूल्य की 100% पूर्व वापसी देय होगी। • वार्षिकीग्राही की मृत्यु होने पर, वार्षिकी भुगतान तत्काल बंद हो जाएगा तथा क्रय मूल्य के बराबर मृत्यु हितलाभ, जिसमें से मृत्यु की तिथि तक पहले से भुगतान किए गए क्रय मूल्य की पूर्व वापसी, यदि कोई हो, को घटाकर उसके बराबर राशि नामिती(यों) को देय होगी। • यदि वार्षिकीधारक की मृत्यु की तिथि तक क्रय मूल्य का 100% भुगतान किया जा चुका है, तो मृत्यु पर कोई हितलाभ देय नहीं होगा।
विकल्प ई3	80 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद क्रय मूल्य की 50% वापसी के साथ जीवन वार्षिकी	• जब तक वार्षिकी प्राप्तकर्ता जीवित है, वार्षिकी भुगतान बकाया के रूप में किया जाएगा। • वार्षिकी भुगतान के अतिरिक्त, वार्षिकीधारक के जीवित रहने पर, 80 वर्ष की आयु पूरी होने के साथ या उसके तुरंत बाद आने वाली पॉलिसी वर्षगांठ पर क्रय मूल्य की 50% पूर्व वापसी देय होगी। • वार्षिकीग्राही की मृत्यु होने पर, वार्षिकी भुगतान तत्काल बंद हो जाएगा तथा क्रय मूल्य के बराबर मृत्यु हितलाभ, जिसमें से मृत्यु की तिथि तक पहले से भुगतान किए गए क्रय मूल्य की पूर्व वापसी, यदि कोई हो, को घटाकर उसके बराबर राशि नामिती(यों) को देय होगी।

विकल्प ई4	80 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद क्रय मूल्य की 100% वापसी के साथ जीवन वार्षिकी	• जब तक वार्षिकी प्राप्तकर्ता जीवित है, वार्षिकी भुगतान बकाया के रूप में किया जाएगा। • वार्षिकी भुगतान के अतिरिक्त, वार्षिकीधारक के जीवित रहने पर, 80 वर्ष की आयु पूरी होने के साथ या उसके तुरंत बाद आने वाली पॉलिसी वर्षगांठ पर क्रय मूल्य की 100% पूर्व वापसी देय होगी। • वार्षिकीग्राही की मृत्यु होने पर, वार्षिकी भुगतान तत्काल बंद हो जाएगा तथा क्रय मूल्य के बराबर मृत्यु हितलाभ, जिसमें से मृत्यु की तिथि तक पहले से भुगतान किए गए क्रय मूल्य की पूर्व वापसी, यदि कोई हो, को घटाकर उसके बराबर राशि नामिती(यों) को देय होगी। • यदि वार्षिकीधारक की मृत्यु की तिथि तक क्रय मूल्य का 100% भुगतान किया जा चुका है, तो मृत्यु पर कोई हितलाभ देय नहीं होगा।
विकल्प ई5	76 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद से 95 वर्ष तक प्रत्येक वर्ष क्रय मूल्य की 5% वापसी के साथ जीवन वार्षिकी	• जब तक वार्षिकी प्राप्तकर्ता जीवित है, वार्षिकी भुगतान बकाया के रूप में किया जाएगा। • वार्षिकी भुगतान के अतिरिक्त, वार्षिकीधारक के जीवित रहने पर 76 वर्ष की आयु पूरी होने से 95 वर्ष तक (दोनों शामिल) उसके तुरंत बाद या उसके बाद आने वाली प्रत्येक पॉलिसी वर्षगांठ पर क्रय मूल्य के 5% की पूर्व वापसी भी देय होगी। • वार्षिकीग्राही की मृत्यु होने पर, वार्षिकी भुगतान तत्काल बंद हो जाएगा तथा क्रय मूल्य के बराबर मृत्यु हितलाभ, जिसमें से मृत्यु की तिथि तक पहले से भुगतान किए गए क्रय मूल्य की पूर्व वापसी, यदि कोई हो, को घटाकर उसके बराबर राशि नामिती(यों) को देय होगी। • यदि वार्षिकीधारक की मृत्यु की तिथि तक क्रय मूल्य का 100% भुगतान किया जा चुका है, तो मृत्यु पर कोई हितलाभ देय नहीं होगा।
विकल्प एफ	क्रय मूल्य की वापसी के साथ जीवन वार्षिकी	• जब तक वार्षिकी प्राप्तकर्ता जीवित है, वार्षिकी भुगतान बकाया के रूप में किया जाएगा। • वार्षिकीग्राही की मृत्यु होने पर, वार्षिकी भुगतान तत्काल बंद हो जाएगा तथा क्रय मूल्य के बराबर मृत्यु हितलाभ नामिती(यों) को देय होगा।

विकल्प जी1	संयुक्त जीवन वार्षिकी में प्राथमिक वार्षिकीधारक की मृत्यु पर द्वितीयक वार्षिकीधारक को वार्षिकी का 50% देने का प्रावधान है।	• जब तक प्राथमिक वार्षिकीग्राही जीवित है, वार्षिकी भुगतान बकाया के रूप में किया जाएगा। • प्राथमिक वार्षिकीधारक की मृत्यु होने पर, वार्षिकी राशि का 50% जीवित द्वितीयक वार्षिकीधारक को देय होगा, जब तक कि द्वितीयक वार्षिकीधारक जीवित है। द्वितीयक वार्षिकीधारक की मृत्यु होने पर वार्षिकी भुगतान बंद हो जाएगा। • यदि द्वितीयक वार्षिकीग्राही की मृत्यु प्राथमिक वार्षिकीग्राही से पहले हो जाती है, तो वार्षिकी भुगतान प्राथमिक वार्षिकीग्राही को जारी रहेगा तथा यह प्राथमिक वार्षिकीग्राही की मृत्यु पर बंद हो जाएगा।
विकल्प जी2	संयुक्त जीवन वार्षिकी में प्राथमिक वार्षिकीधारक की मृत्यु पर द्वितीयक वार्षिकीधारक को वार्षिकी का 100% देने का प्रावधान है।	• जब तक प्राथमिक वार्षिकीग्राही और/या द्वितीयक वार्षिकीग्राही जीवित है, वार्षिकी भुगतान बकाया के रूप में किया जाएगा। • अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु होने पर वार्षिकी भुगतान तत्काल बंद हो जाएगा तथा कुछ भी देय नहीं होगा।
विकल्प एच1	3% प्रति वर्ष की साधारण दर से बढ़ने वाली संयुक्त जीवन वार्षिकी, जिसमें प्राथमिक वार्षिकीधारक की मृत्यु पर द्वितीयक वार्षिकीधारक को वार्षिकी का 50% देने का प्रावधान है।	• जब तक प्राथमिक वार्षिकीग्राही जीवित है, वार्षिकी भुगतान बकाया के रूप में किया जाएगा। • प्रत्येक पूर्णकृत वार्षिकी वर्ष के लिए वार्षिकी भुगतान 3% प्रति वर्ष की साधारण दर से बढ़ेगा। • प्राथमिक वार्षिकीधारक की मृत्यु होने पर, वार्षिकी की देय तिथियों पर प्राथमिक वार्षिकीधारक को देय वार्षिकी राशि का 50%, संबंधित देय तिथियों पर जीवित द्वितीयक वार्षिकीधारक को देय हो जाएगा, जब तक कि द्वितीयक वार्षिकीधारक जीवित है। द्वितीयक वार्षिकीधारक की बाद में मृत्यु होने पर वार्षिकी भुगतान बंद हो जाएगा। • यदि द्वितीयक वार्षिकीग्राही की मृत्यु प्राथमिक वार्षिकीग्राही से पहले हो जाती है, तो वार्षिकी भुगतान प्राथमिक वार्षिकीग्राही को जारी रहेगा तथा यह प्राथमिक वार्षिकीग्राही की मृत्यु पर बंद हो जाएगा।

विकल्प एच2	6% प्रति वर्ष की साधारण दर से बढ़ने वाली संयुक्त जीवन वार्षिकी, जिसमें प्राथमिक वार्षिकीधारक की मृत्यु पर द्वितीयक वार्षिकीधारक को वार्षिकी का 50% देने का प्रावधान है।	• जब तक प्राथमिक वार्षिकीग्राही जीवित है, वार्षिकी भुगतान बकाया के रूप में किया जाएगा। • प्रत्येक पूर्णकृत वार्षिकी वर्ष के लिए वार्षिकी भुगतान 6% प्रति वर्ष की साधारण दर से बढ़ेगा। • प्राथमिक वार्षिकीधारक की मृत्यु होने पर, वार्षिकी की देय तिथियों पर प्राथमिक वार्षिकीधारक को देय वार्षिकी राशि का 50%, संबंधित देय तिथियों पर जीवित द्वितीयक वार्षिकीधारक को देय हो जाएगा, जब तक कि द्वितीयक वार्षिकीधारक जीवित है। द्वितीयक वार्षिकीधारक की बाद में मृत्यु होने पर वार्षिकी भुगतान बंद हो जाएगा। • यदि द्वितीयक वार्षिकीग्राही की मृत्यु प्राथमिक वार्षिकीग्राही से पहले हो जाती है, तो वार्षिकी भुगतान प्राथमिक वार्षिकीग्राही को जारी रहेगा तथा यह प्राथमिक वार्षिकीग्राही की मृत्यु पर बंद हो जाएगा।
विकल्प आई1	3% प्रति वर्ष की साधारण दर से बढ़ने वाली संयुक्त जीवन वार्षिकी, जिसमें प्राथमिक वार्षिकीधारक की मृत्यु पर द्वितीयक वार्षिकीधारक को वार्षिकी का 100% देने का प्रावधान है।	• जब तक प्राथमिक वार्षिकीग्राही और/या द्वितीयक वार्षिकीग्राही जीवित है, वार्षिकी भुगतान बकाया के रूप में किया जाएगा। • अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु होने पर वार्षिकी भुगतान तत्काल बंद हो जाएगा तथा कुछ भी देय नहीं होगा। • वार्षिकी भुगतान प्रत्येक पूर्ण वार्षिकी वर्ष के लिए 3% प्रति वर्ष की साधारण दर से बढ़ेगा, जब तक कि प्राथमिक वार्षिकीग्राही और/या द्वितीयक वार्षिकीग्राही जीवित है।
विकल्प आई2	6% प्रति वर्ष की साधारण दर से बढ़ने वाली संयुक्त जीवन वार्षिकी, जिसमें प्राथमिक वार्षिकीधारक की मृत्यु पर द्वितीयक वार्षिकीधारक को वार्षिकी का 100% देने का प्रावधान है।	• जब तक प्राथमिक वार्षिकीग्राही और/या द्वितीयक वार्षिकीग्राही जीवित है, वार्षिकी भुगतान बकाया के रूप में किया जाएगा। • अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु होने पर वार्षिकी भुगतान तत्काल बंद हो जाएगा तथा कुछ भी देय नहीं होगा। • वार्षिकी भुगतान प्रत्येक पूर्ण वार्षिकी वर्ष के लिए 6% प्रति वर्ष की साधारण दर से बढ़ेगा, जब तक कि प्राथमिक वार्षिकीग्राही और/या द्वितीयक वार्षिकीग्राही जीवित है।

विकल्प जे	संयुक्त जीवन वार्षिकी जिसमें वार्षिकी के 100% के भुगतान का प्रावधान है, जब तक कि वार्षिकीधारकों में से कोई भी जीवित रहता है, और अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु पर क्रय मूल्य की वापसी होती है।	• जब तक प्राथमिक वार्षिकीग्राही और/या द्वितीयक वार्षिकीग्राही जीवित है, वार्षिकी भुगतान बकाया के रूप में किया जाएगा। • अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु होने पर, वार्षिकी भुगतान तत्काल बंद हो जाएगा तथा क्रय मूल्य नामिती(यों) को देय होगा।

टिप्पणी:

- **क्रय मूल्य/एकल प्रीमियम** वह राशि है, जो पॉलिसीधारक द्वारा पॉलिसी के अंतर्गत हितलाभ सुरक्षित करने हेतु देय होती है। क्रय मूल्य और एकल प्रीमियम शब्दों का उपयोग अदल-बदलकर किया जाता है। क्रय मूल्य/एकल प्रीमियम में कोई भी कर शामिल नहीं होता है और यह अलग से देय होता है।

- संयुक्त जीवन वार्षिकी के मामले में, प्राथमिक वार्षिकीधारक वार्षिकी भुगतान प्राप्त करने वाला प्राथमिक व्यक्ति होगा और द्वितीयक वार्षिकीधारक को वार्षिकी केवल प्राथमिक वार्षिकीधारक की मृत्यु की स्थिति में ही प्राप्त होगी।

- एकल जीवन वार्षिकी विकल्पों के अंतर्गत वार्षिकीधारक की मृत्यु पर या संयुक्त जीवन वार्षिकी विकल्पों के अंतर्गत अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु पर, वार्षिकी भुगतान की त्रैमासिक और मासिक विधि वाली पॉलिसियों के लिए, भुगतान की गई अंतिम वार्षिकी किस्त की नियत तिथि से मृत्यु की तिथि तक की अवधि के लिए कोई आनुपातिक वार्षिकी देय नहीं होगी।

हालाँकि,

- वार्षिकी भुगतान की अर्ध-वार्षिक विधि वाली पॉलिसियों के अंतर्गत, मृत्यु हितलाभ (यदि कोई हो) के अतिरिक्त, अर्ध-वार्षिक वार्षिकी किस्त का 50% नामांकित व्यक्ति को देय होगा, यदि मृत्यु भुगतान की गई अंतिम वार्षिकी किस्त की नियत तिथि से तीन महीने के बाद होती है।

- वार्षिकी भुगतान की वार्षिक विधि वाली पॉलिसियों के अंतर्गत, मृत्यु हितलाभ (यदि कोई हो) के अतिरिक्त, वार्षिक वार्षिकी किस्त का 50%

नामांकित व्यक्ति को देय होगा, यदि मृत्यु भुगतान की गई अंतिम वार्षिकी किस्त की नियत तिथि से छह महीने के बाद होती है।

बी) परिपक्वता हितलाभः

इस योजना के अंतर्गत कोई परिपक्वता हितलाभ नहीं है।

5. वार्षिकी भुगतान की विधि :

वार्षिकी भुगतान की उपलब्ध विधियाँ वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक और मासिक हैं। वार्षिकी बकाया में देय होगी अर्थात वार्षिकी भुगतान सदस्य के जीवन पर पॉलिसी की आरंभ तिथि से 1 वर्ष, 6 महीने, 3 महीने और 1 महीने के बाद होगा, जो इस बात पर निर्भर करता है कि वार्षिकी भुगतान की विधि क्रमशः वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक और मासिक है।

6. मॉडल वार्षिकी रूपांतरण कारकः

वार्षिकी भुगतान की चयनित विधि की आवृत्ति के अनुरूप मॉडल वार्षिकी रूपांतरण कारक निम्नानुसार हैं:

विधि	आवृत्ति	मॉडल वार्षिकी रूपांतरण कारक
वार्षिक	1	1.00
अर्द्धवार्षिक	2	0.98
त्रैमासिक	4	0.97
मासिक	12	0.96

7. प्रोत्साहनः

इस योजना के अंतर्गत निम्नांकित प्रोत्साहन राशियाँ लागू हैं:

(ए) मौजूदा पॉलिसीधारक एवं मृतक पॉलिसीधारक के नामित/लाभार्थी के लिए प्रोत्साहन राशि:

इस योजना के अंतर्गत मौजूदा पॉलिसीधारकों की विभिन्न श्रेणियों, जिनमें मृतक पॉलिसीधारक के नामित या लाभार्थी शामिल हैं, के लिए तालिकाबद्ध वार्षिकी दर में वृद्धि के माध्यम से प्रोत्साहन राशि निम्नानुसार होगी:

पॉलिसीधारक की श्रेणी	प्रोत्साहन राशि (%)
ऐसे मामले में, जब मौजूदा पॉलिसीधारक के पास निगम से ली गई ऐसी पॉलिसी है, जो इस उत्पाद के अंतर्गत प्रस्ताव के पंजीकरण से पहले एक वर्ष के भीतर परिपक्व हुई है और उसके द्वारा यह योजना अपने जीवन और/या किसी अन्य परिजन के जीवन पर खरीदी जाती है*; या यदि यह योजना मृतक पॉलिसीधारक के नामित/लाभार्थी द्वारा खरीदी गई है, जहाँ मृत्यु की तिथि इस उत्पाद के अंतर्गत प्रस्ताव के पंजीकरण से पहले एक वर्ष के भीतर है; या यदि यह योजना किसी मौजूदा पॉलिसीधारक द्वारा खरीदी गई है, जिसके पास निगम के साथ एक चालू पॉलिसी है। (*परिजन का अर्थ है दादा–दादी, माता–पिता, जीवनसाथी, बच्चे या पोते–पोतियाँ)	0.15%

(बी) सीधे विक्रय के लिए प्रोत्साहन राशि :

किसी अभिकर्ता/निगम अभिकर्ता/ब्रोकर/बीमा विपणन फर्म/पीओएसपी–एलआई/सीपीएससी–एसपीवी की भागीदारी के बिना सीधे बेची जाने वाली पॉलिसियों के लिए, तालिकाबद्ध वार्षिकी दर में वृद्धि के माध्यम से प्रोत्साहन राशि निम्नानुसार उपलब्ध होगी:

क्र.	पॉलिसीधारक की श्रेणी	प्रोत्साहन राशि
ए.	ऑनलाइन विक्रय	2.50%
बी.	नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) सबस्क्राइबर	3.00%

टिप्पणी:

- ग्राहक द्वारा उपरोक्त प्रोत्साहन राशियों में से किसी एक को चुना जा सकता है, यानी या तो ऑनलाइन विक्रय, या एनपीएस सबस्क्राइबर
- मौजूदा पॉलिसीधारकों और मृतक पॉलिसीधारक के नामित/लाभार्थी (अनुच्छेद 7 (ए) में निर्दिष्ट अनुसार) के लिए भी प्रोत्साहन राशि केवल ऑनलाइन विक्रय हेतु उपलब्ध होगी। यह एनपीएस सबस्क्राइबरों के लिए उपलब्ध नहीं होगी।

(सी) उच्च क्रय मूल्य के लिए प्रोत्साहन राशि:

इस योजना के अंतर्गत वार्षिकी दर में वृद्धि के माध्यम से उच्च क्रय मूल्य के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

प्रति वर्ष एक हजार रुपए के क्रय मूल्य पर वार्षिकी दरों के अतिरिक्त

उच्च क्रय मूल्य पॉलिसियों के अंतर्गत प्रोत्साहन की पूर्ण राशि का मापन निम्नानुसार है:

रु. 1000/- का क्रय मूल्य (रुपए में)		
क्रय मूल्य (रु.)	वार्षिकी विकल्प	
	सी1, सी2, एच1, एच2, आई1 एवं आई2	**ए, बी1, बी2, बी3, बी4, डी, ई1, ई2, ई3, ई4, ई5, एफ, जी1, जी2 एवं जे**
5,00,000 से कम	शून्य	शून्य
5,00,000 से 9,99,999 तक	1.40	2.30
10,00,000 से 24,99,999 तक	1.80	3.10
25,00,000 से 99,99,999 तक	2.10	3.60
1,00,00,000 और उससे अधिक	2.30	3.80

8. विकल्प:

(ए) मृत्यु हितलाभ के भुगतान के लिए उपलब्ध विकल्प:

ऐसे वार्षिकी विकल्पों के अंतर्गत, जिनमें हितलाभ मृत्यु पर देय होता है, यानी वार्षिकी विकल्प–डी, ई1, ई2, ई3, ई4, ई5, एफ और जे के अंतर्गत वार्षिकीधारक को नामिती(यों) को मृत्यु हितलाभ, यदि कोई हो, के भुगतान के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से एक चुनना होगा। तब मृत्यु दावा राशि नामिती(यों) को वार्षिकीधारक(कों) द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार भुगतान की जाएगी और नामिती(यों) को इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी।

- **एकमुश्त मृत्यु हितलाभ:** इस विकल्प के अंतर्गत मृत्यु हितलाभ, यदि कोई हो, नामिती को एकमुश्त देय होगा।

- **मृत्यु हितलाभ का वार्षिकीकरण:** इस विकल्प के अंतर्गत मृत्यु पर देय हितलाभ राशि, यदि कोई हो, का उपयोग निगम से नामांकित व्यक्ति(यों) के लिए तत्काल वार्षिकी क्रय करने के लिए किया जाएगा। प्रवेश पर मृत्यु दावे हेतु नामांकित व्यक्ति(यों) को देय वार्षिकी राशि नामांकित व्यक्ति(यों) की आयु और वार्षिकीधारक (संयुक्त जीवन वार्षिकी के मामले में अंतिम उत्तरजीवी) की मृत्यु की तिथि पर प्रचलित तत्काल वार्षिकी दरों पर आधारित होगी। यह विकल्प मृत्यु पर देय हितलाभ राशि के संपूर्ण या आंशिक भाग के लिए चुना जा सकता है। हालाँकि, प्रत्येक नामांकित व्यक्ति(यों) के लिए वार्षिकी भुगतान उस समय उपलब्ध वार्षिकी योजना की पात्रता शर्तों और वार्षिकी के लिए न्यूनतम सीमाओं पर तत्कालीन प्रचलित विनियामक प्रावधानों के अधीन होगा।

- **किस्तों में:** इस विकल्प के अंतर्गत मृत्यु पर देय हितलाभ राशि, यदि कोई हो, एकमुश्त राशि के बजाय 5 या 10 या 15 वर्ष की चयनित अवधि में किस्तों में प्राप्त की जा सकती है। इस विकल्प का उपयोग पॉलिसी के अंतर्गत देय मृत्यु हितलाभ के पूर्ण या आंशिक भाग के लिए किया जा सकता है। वार्षिकीग्राही द्वारा चयनित राशि (अर्थात शुद्ध दावा राशि) या तो पूर्ण मूल्य में हो सकती है या देय कुल दावा आय के प्रतिशत के रूप में हो सकती है।

  किस्तों का भुगतान वार्षिक या अर्धवार्षिक या त्रैमासिक या मासिक अंतराल पर अग्रिम रूप से किया जाएगा, जैसा चयनित है, जो भुगतान की विभिन्न विधियों के लिए न्यूनतम किस्त राशि के अधीन होगा, जो निम्नानुसार होगी:

किस्त भुगतान की विधि	न्यूनतम किस्त राशि
मासिक	रू. 5,000/-
त्रैमासिक	रू. 15,000/-
अर्धवार्षिक	रू. 25,000/-
वार्षिक	रू. 50,000/-

यदि शुद्ध दावा राशि वार्षिकीग्राही(यों) द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार न्यूनतम किस्त राशि प्रदान करने के लिए आवश्यक राशि से कम है, तो दावे की राशि का भुगतान केवल एकमुश्त राशि के रूप में किया जाएगा।

1 मई से 30 अप्रैल तक 12 महीने की अवधि के दौरान शुरू होने वाले सभी किस्त भुगतान विकल्पों के लिए, किस्त राशि का निर्धारण करने के लिए लागू ब्याज दर **वार्षिक प्रभावी दर** होगी, जो 10 वर्ष अर्ध-वार्षिक जी-सेक दर में से 200 आधार अंक घटाने के फल से कम नहीं होगी; जहाँ, 10 वर्ष अर्ध-वार्षिक जी-सेक दर पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन के अनुसार होगी।

तदनुसार, 1 मई, 2024 से 30 अप्रैल, 2025 तक की 12 महीने की अवधि के लिए, किस्त राशि की गणना के लिए लागू ब्याज दर 5.07% प्रति वर्ष होगी।

(बी) नकदी विकल्प:

इस पॉलिसी के अंतर्गत वार्षिकी भुगतान और अन्य हितलाभों में कमी के बदले में एकमुश्त राशि प्राप्त करने के लिए यह एक विकल्प है। यह विकल्प वार्षिकी विकल्पों - केवल एफ और जे के अंतर्गत उपलब्ध होगा। इस विकल्प का प्रयोग निम्नलिखित के अधीन किया जाएगा:

i) इस विकल्प का प्रयोग पॉलिसी प्रारंभ होने की तिथि से 5 वर्ष पूरे होने के बाद किया जा सकता है।

ii) इस पॉलिसी के अंतर्गत यह विकल्प अधिकतम 3 बार दिया जाएगा।

iii) पॉलिसीधारक को क्रय मूल्य के उस हिस्से के अनुरूप एकमुश्त राशि प्राप्त होगी जिसका वह नकदीकरण करना चाहता है। उदाहरण के लिए, यदि नकदी विकल्प के लिए एक्स% को चुना जाता है, नकदीकरण की तिथि पर पॉलिसी के लागू अभ्यर्पण मूल्य का एक्स% (गणना किसी निकदीकरण के बिना की गई) नकदी विकल्प के उपयोग के समय देय होगा।

iv) इस विकल्प के अंतर्गत प्राप्त किए जाने वाले कुल एकमुश्त हितलाभ, क्रय मूल्य के 60% से अधिक नहीं हो सकते हैं।

v) इस विकल्प के प्रयोग के बाद, वार्षिकी राशि, मृत्यु हितलाभ और अन्य हितलाभ (यदि कोई हो) को निकासी की तिथि से संशोधित किया जाएगा, अर्थात यदि नकदी विकल्प के लिए एक्स% को चुना जाता है, तो संशोधित वार्षिकी राशि, मृत्यु हितलाभ, अभ्यर्पण मूल्य और अन्य हितलाभ किसी भी नकदीकरण विकल्प के समायोजन के बिना आधार पॉलिसी के अंतर्गत देय मूल राशि के (100–एक्स)% तक कम हो जाएंगे। किसी भी आगामी नकदीकरण के लिए भी यही पद्धति लागू होगी।

vi) इस विकल्प के प्रयोग की अनुमति इस शर्त पर होगी कि संशोधित वार्षिकी भुगतान समय–समय पर यथा संशोधित आईआरडीएआई (बीमा उत्पाद) विनियम, 2024 में परिभाषित न्यूनतम सीमा के कम से कम बराबर होगा। यदि कोई पॉलिसी एनपीएस सबस्क्राइबर द्वारा या क्यूआरओपीएस के रूप में ली जाती है, तो नकदीकरण विकल्प भी पीएफआरडीए या एचएमआरसी के विशिष्ट प्रावधानों के अधीन होगा, जैसा भी लागू हो।

(सी) अग्रिम वार्षिकी विकल्प:

वार्षिकी विकल्प जे के अंतर्गत, पहली मृत्यु पर (किसी एक बीमा–रक्षित जीवन की), जीवित वार्षिकीग्राही के पास अग्रिम वार्षिकी अवधि के दौरान देय वार्षिकी के रियायती नकद मूल्य को एकमुश्त रूप में निकालने का विकल्प होगा, जो निम्नलिखित के अधीन होगा;

i) प्रथम मृत्यु (किसी एक बीमा–रक्षित जीवन की) होने के मामले में अग्रिम वार्षिकी अवधि, अग्रिम वार्षिकी प्राप्त करने के विकल्प के प्रयोग की तिथि के तुरंत बाद की पॉलिसी वर्षगांठ से 5 वर्ष की अवधि होगी।

ii) इस विकल्प का प्रयोग प्रथम मृत्यु (किसी एक बीमा–रक्षित जीवन की) की तिथि से एक वर्ष के भीतर किया जा सकता है।

iii) पॉलिसीधारक (बीमा–रक्षित जीवन के उत्तरजीवी) के पास अग्रिम वार्षिकी अवधि के दौरान देय अधिकतम 5 वर्ष की वार्षिकियों के रियायती नकद मूल्य को एकमुश्त राशि के रूप में (या उसके 1% से 100% तक के किसी भी अनुपात में) प्राप्त करने का विकल्प होगा, जो अग्रिम वार्षिकी प्राप्त करने के विकल्प के प्रयोग की तिथि के तुरंत बाद की

पॉलिसी वर्षगांठ की तिथि तक रियायती होगी।

iv) जिस पॉलिसी वर्ष में इस विकल्प का प्रयोग किया गया है, उस वर्ष के दौरान वार्षिकी भुगतान देय बना रहेगा।

v) इस विकल्प का प्रयोग करने पर, अग्रिम वार्षिकी राशि का तुरंत एकमुश्त भुगतान किया जाएगा और अग्रिम वार्षिकी अवधि के लिए वार्षिकी भुगतान देय वार्षिकी की शेष राशि (यदि कोई हो) के लिए जारी रहेगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई पॉलिसीधारक अग्रिम वार्षिकी विकल्प के रूप में प्राप्त की जाने वाली मूल वार्षिकी राशि का एक्स% चुनता है, तो अग्रिम वार्षिकी अवधि के दौरान मूल वार्षिकी के (100–एक्स)% के बराबर राशि का भुगतान जारी रहेगा।

vi) चुनी गई अग्रिम वार्षिकी अवधि और अग्रिम भुगतान के लिए वार्षिकियों के अनुपात के लिए अग्रिम वार्षिकी राशि की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

अग्रिम वार्षिकी राशि = अग्रिम वार्षिकी अवधि के दौरान देय वार्षिकी किस्तों का रियायती मूल्य x अग्रिम के लिए वार्षिकी का अनुपात

vii) 1 मई से 30 अप्रैल तक 12 महीने की अवधि के दौरान शुरू होने वाले सभी अग्रिम वार्षिकी विकल्पों के लिए, अग्रिम हेतु वार्षिकी में रियायत देने के लिए उपयोग की जाने वाली ब्याज दर प्रति वर्ष चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक दर होगी, जो 5 वर्ष अर्ध–वार्षिक जी–सेक प्रतिफल प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी; जहाँ, 5 वर्ष अर्ध–वार्षिक जी–सेक प्रतिफल पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन के अनुसार होगा।

तदनुसार, 1 मई, 2024 से 30 अप्रैल, 2025 तक की 12 महीने की अवधि के लिए, अग्रिम हेतु वार्षिकी में रियायत के लिए लागू ब्याज दर 7.05% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि अर्ध–वार्षिक होगी।

रियायत के लिए ब्याज दर के निर्धारण के आधार में कोई भी परिवर्तन विद्यमान मानदंडों के अनुसार प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के अधीन होगा।

viii) एक बार अग्रिम वार्षिकी अवधि समाप्त हो जाने पर वार्षिकी भुगतान मूल नियमों और शर्तों के अनुसार फिर से शुरू हो जाएगा।

ix) यदि जीवित वार्षिकीग्राही द्वारा अग्रिम वार्षिकी राशि प्राप्त करने के बाद अभ्यर्पण कर दिया जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो अभ्यर्पण राशि या मृत्यु हितलाभ राशि में से निम्नलिखित राशि को कम कर दिया जाएगा:

- यदि जीवित वार्षिकीग्राही द्वारा अग्रिम वार्षिकी अवधि के प्रारंभ होने से पहले अभ्यर्पण किया जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो अभ्यर्पण या मृत्यु हितलाभ में से पहले से भुगतान की गई पूर्ण अग्रिम वार्षिकी

राशि कम कर दी जाएगी।

- यदि जीवित वार्षिकीग्राही द्वारा अग्रिम वार्षिकी अवधि के दौरान अभ्यर्पण किया जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो अभ्यर्पण या मृत्यु हितलाभ में से बकाया अग्रिम वार्षिकी राशि कम कर दी जाएगी, जो निम्नांकित के बराबर होगी:

[अग्रिम वार्षिकी राशि x (एन–टी)/एन]

जहाँ,

एन = अग्रिम वार्षिकी अवधि, महीनों में

टी = अग्रिम वार्षिकी अवधि के प्रारंभ से अभ्यर्पण या जीवित वार्षिकीग्राही की मृत्यु की तिथि तक की अवधि, महीनों में।

x) इस विकल्प का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है, जब पॉलिसी के अंतर्गत कोई ऋण बकाया नहीं हो। अग्रिम वार्षिकी अवधि के दौरान, जहाँ इस विकल्प का उपयोग किया गया है, कोई नया ऋण नहीं लिया जा सकता है।

(डी) वार्षिकी संचय विकल्प:

इस विकल्प के अंतर्गत वार्षिकीग्राहीयों को लगातार 5 वर्षों के ब्लॉक के दौरान देय होने वाले अपने वार्षिकी भुगतान को स्थगित करने और संचित करने की अनुमति होती है। यह विकल्प इस प्लान के अंतर्गत सभी वार्षिकी विकल्पों के अंतर्गत उपलब्ध है, और यह निम्नांकित के अधीन है:

i) वार्षिकी संचय विकल्प का उपयोग वार्षिकीग्राही/प्राथमिक वार्षिकीग्राही द्वारा प्रस्ताव चरण में या पॉलिसी जारी होने के बाद किसी भी समय किया जा सकता है। संयुक्त जीवन वार्षिकी विकल्पों के अंतर्गत, प्राथमिक वार्षिकीग्राही की मृत्यु होने की स्थिति में द्वितीयक वार्षिकीग्राही द्वारा इस विकल्प का उपयोग किया जा सकता है।

ii) एक बार वार्षिकी संचय विकल्प का प्रयोग करने के बाद, लगातार 5 वर्षों का ब्लॉक निम्नलिखित से शुरू होगा:

- प्रथम वार्षिकी भुगतान की तिथि, यदि यह विकल्प प्रस्ताव चरण में चुना गया हो।
- इस विकल्प का प्रयोग करने की तिथि के तुरंत बाद की पॉलिसी वर्षगांठ, यदि इस विकल्प का प्रयोग पॉलिसी जारी करने की तिथि के बाद किया जाता है, बशर्ते कि इस विकल्प का प्रयोग करने का अनुरोध पॉलिसी वर्षगांठ से 90 दिन पहले प्राप्त हुआ हो।

iii) एक बार वार्षिकी संचय विकल्प का प्रयोग करने के बाद, लगातार 5 वर्षों

के इस ब्लॉक के भीतर देय प्रत्येक वार्षिकी भुगतान को 5 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। प्रत्येक आस्थगित वार्षिकी भुगतान इसकी देय तिथि से 5 वर्षों के लिए लागू संचय दर पर संचित किया जाएगा।

iv) प्रत्येक ऐसे आस्थगित वार्षिकी भुगतान का संचित मूल्य के साथ संबंधित देय तिथि से 5 वर्ष के अंत में वार्षिकीग्राही को देय होगा।

v) 1 मई से 30 अप्रैल तक की 12 महीने की अवधि के भीतर स्थगित और देय होने वाले वार्षिकी भुगतानों के लिए लागू संचय दर 5–वर्ष वार्षिक जी–सेक प्रतिफल में से 50 आधार अंक कम करने पर प्राप्त फल के बराबर होगी, जहाँ 5 वर्ष वार्षिक जी–सेक दर पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन के रूप में होगी।

तदनुसार, 1 मई 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक 12 महीने की अवधि के भीतर स्थगित और देय होने वाले वार्षिकी भुगतानों के लिए लागू संचय दर 6.67% प्रति वर्ष होगी।

vi) संचय दर के निर्धारण के आधार में कोई भी परिवर्तन विद्यमान मानदंडों के अनुसार प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के अधीन होगा। वार्षिकी संचय विकल्प का प्रयोग पॉलिसी के चालू रहने के दौरान पाँच क्रमागत वर्षों के अधिकतम तीन ब्लॉक तक किया जा सकता है। इस विकल्प के पिछले ब्लॉक से आस्थगित और संचित वार्षिकी भुगतान को फिर से आस्थगित नहीं किया जा सकता।

vii) इस विकल्प का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब पॉलिसी के अंतर्गत कोई ऋण बकाया न हो।

viii) कोई नया ऋण उन पांच लगातार वर्षों के ब्लॉक के दौरान नहीं लिया जा सकेगा, जिसमें इस विकल्प का प्रयोग किया गया है। साथ ही, इस अवधि के दौरान वार्षिकी भुगतान की विधि में भी परिवर्तन की अनुमति नहीं दी होगी।

ix) एकल जीवन वार्षिकी विकल्पों के अंतर्गत वार्षिकीग्राही की मृत्यु या संयुक्त जीवन वार्षिकी विकल्पों के अंतर्गत अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु की स्थिति में, मृत्यु की तिथि तक स्थगित वार्षिकी भुगतानों (पूर्ण महीनों के लिए) का संचित मूल्य (यदि कोई हो) नामिती/लाभार्थी को देय होगा।

x) पॉलिसी के अभ्यर्पण पर, अभ्यर्पण मूल्य, यदि कोई हो, में आस्थगित वार्षिकी भुगतानों का संचित मूल्य भी शामिल होगा, जिसकी पुनर्गणना पुनरीक्षित संचय दर पर वार्षिकी भुगतान की संबंधित देय तिथि से लेकर पॉलिसी के अभ्यर्पण की तिथि तक पूरे महीनों के लिए की जाएगी।

xi) वार्षिकीग्राही द्वारा वार्षिकी संचय विकल्प का प्रयोग करने के बाद किसी भी समय इसे निरस्त किया जा सकता है। निरस्तीकरण पर, आस्थगित वार्षिकी भुगतानों के संचित मूल्य की पुनर्गणना पुनरीक्षित संचय दर पर वार्षिकी भुगतान की संबंधित देय तिथि से लेकर वार्षिकी संचय विकल्प के निरस्तीकरण की तिथि तक पूरे महीनों के लिए की जाएगी। निरस्तीकरण की तिथि के बाद देय होने वाली सभी वार्षिकियों का भुगतान उनकी संबंधित देय तिथियों पर किया जाएगा।

xii) पॉलिसी के अभ्यर्पण या विकल्प के निरस्तीकरण के ऐसे मामलों में, संचित मूल्यों की पुनर्गणना के लिए लागू दर, उपरोक्त (अंक (V)) के अनुसार गणना की गई संबंधित देय तिथि पर लागू संचय दर में से 100 आधार अंक कम करके उसके बराबर होगी।

तदनुसार, पॉलिसी के अभ्यर्पण या विकल्प के निरस्तीकरण के मामले में, 1 मई 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक 12 महीने की अवधि के दौरान देय और स्थगित वार्षिकी भुगतान, संचित मूल्यों की पुनर्गणना के लिए लागू दर 5.67% प्रति वर्ष होगी।

(ई) एनपीएस सबस्क्राइबर द्वारा वार्षिकी लेने का विकल्प:

पीएफआरडीए विनियमों के अनुसार अनुमत अनुसार वार्षिकी विकल्प एनपीएस सबस्क्राइबरों के लिए उपलब्ध होंगे।

यदि किसी शासकीय क्षेत्र के एनपीएस सबस्क्राइबर द्वारा यह योजना एक पूर्व-निर्धारित विकल्प के रूप में खरीदी जाती है, तो वार्षिकी विकल्प जे उस सबस्क्राइबर के लिए उपलब्ध होगा, जिसका/जिसकी जीवनसाथी खरीदने की तिथि पर जीवित होता/होती है। उसके/उसकी जीवनसाथी के नहीं होने पर सबस्क्राइबर के लिए वार्षिकी विकल्प एफ उपलब्ध होगा। इसके पश्चात सबस्क्राइबर और उसके जीवनसाथी की मृत्यु पर क्रय मूल्य का उपयोग जीवित आश्रित माता/पिता के जीवन पर वार्षिकी विकल्प एफ या जे को खरीदने हेतु किया जाएगा और यह उस समय उपलब्ध वार्षिकी योजना की पात्रता शर्तों के अधीन होगा।

विशिष्ट योजना विशेषताओं के अधीन, लागू पूर्व-निर्धारित विकल्प सहित अन्य सभी नियम व शर्तें इस संबंध में समय-समय पर पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) द्वारा जारी नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों एवं परिपत्रों आदि के अनुसार होंगे।

(एफ) आश्रित विकलांग व्यक्ति (दिव्यांगजन) के हितलाभ के लिए योजना लेने का विकल्प:

यदि प्रस्तावक के पास कोई विकलांग व्यक्ति (दिव्यांगजन) आश्रित है, तो

दिव्यांगजन के हितलाभ के लिए नामिती/वार्षिकीग्राही के रूप में निम्नलिखित तरीकों से योजना को क्रय किया जा सकता है:

ए) प्रस्तावक अपने जीवन पर क्रय मूल्य की वापसी के साथ एकल जीवन तत्काल वार्षिकी (वार्षिकी विकल्प एफ) क्रय सकता है। वार्षिकीधारक (प्रस्तावक) की मृत्यु के मामले में, मृत्यु हितलाभ का उपयोग अनिवार्य रूप से दिव्यांगजन के जीवन पर तत्काल वार्षिकी क्रय करने के लिए किया जाएगा, जो नामांकित व्यक्ति होगा।

बी) प्रस्तावक दिव्यांगजन को द्वितीयक वार्षिकीधारक के रूप में लेकर संयुक्त जीवन वार्षिकी विकल्प जी2 या जे क्रय सकते हैं।

नामांकित व्यक्ति/द्वितीयक वार्षिकीग्राही के रूप में आश्रित दिव्यांगजन की पात्र दिव्यांगता का निर्णय करने के लिए, समय-समय पर संशोधित ''दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016'' के अनुच्छेद 2(आर) या इस संबंध में किसी अन्य लागू अधिनियम में निर्दिष्ट ''बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति'' के अर्थ का संदर्भ लिया जाना है।

(जी) क्वालिफाइंग रिकॉग्नाइज़्ड ओवरसीज़ पेंशन स्कीम (क्यूआरओपीएस) के रूप में खरीदी गई योजना:

यदि यह पॉलिसी क्वालिफाइंग रिकॉग्नाइज़्ड ओवरसीज़ पेंशन स्कीम (क्यूआरओपीएस) के रूप में यूके टैक्स रिलीव्ड असेट्स के अंतरण के माध्यम से खरीदी गई है तो एचएमआरसी (हिज़ मजेस्टीज़ रेवेन्यू एंड कस्टम्स) द्वारा निर्धारित निम्नांकित नियम व शर्तें लागू होंगे:

i. न्यूनतम आयु 55 वर्ष होगी।

ii. निशुल्क अवलोकन अवधि में निरस्तीकरण के प्राप्त राशि उसी फंड हाउस को वापस अंतरित की जाएगी, जिससे पैसा प्राप्त हुआ था।

iii. विदेश अंतरण शुल्क – विदेश अंतरण (हिज़ मजेस्टीज़ रेवेन्यू एंड कस्टम्स (एचएमआरसी) – पॉलिसी कागज़ात – विदेश अंतरण शुल्क – मार्गदर्शन, प्रकाशित 8 मार्च 2017) के परिणामस्वरूप भारित कर शुल्क होने की स्थिति में, जिसके लिए योजना प्रबंधक, यानी भारतीय जीवन बीमा निगम देनदार हो सकता है, निगम द्वारा अंतरित निधि से केवल लागू कर शुल्क की सीमा तक एक राशि की कटौती की जाएगी और उसे एचएमआरसी को प्रेषित किया जाएगा।

iv. एचएमआरसी के अन्य नियम व शर्तें भी समय-समय पर लागू अनुसार लागू होंगे।

9. पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन्स - लाइफ इंश्योरेंस (पीओएसपी-एलआई) एवं कॉमन पब्लिक सर्विस सेन्टर (सीपीएससी-एसपीवी) के माध्यम से क्रय योजना:

इस योजना को पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन्स – लाइफ इंश्योरेंस (पीओएसपी–एलआई) एवं सीपीएससी–एसपीवी के माध्यम से खरीदा जा सकता है। अनुमत वार्षिकी विकल्प, पात्रता शर्तें एवं अन्य नियम व शर्तें पीओएस योजनाओं एवं पीओएसपी–एलआई/सीपीएससी–एसपीवी पर लागू आईआरडीएआई द्वारा जारी दिशा–निर्देशों, परिपत्रों एवं विनियमों आदि के अनुसार होंगे।

वर्तमान में, योजना विशेषताएँ/मानदंड/पात्रता शर्तें निम्नानुसार हैं:

अनुमत त्वरित वार्षिकी विकल्प का प्रकार	केवल विकल्प एफ एवं जे
प्रवेश पर न्यूनतम आयु	40 वर्ष (पूर्णकृत)
प्रवेश पर अधिकतम आयु	70 वर्ष (पूर्णकृत)

10. अभ्यर्पण:

पॉलिसी अवधि के दौरान किसी भी समय, केवल वार्षिकी विकल्प डी, ई1, ई2, ई3, ई4, ई5, एफ और जे के अंतर्गत, प्रीमियम चेक के भुनाने के अधीन, इस पॉलिसी का अभ्यर्पण किया जा सकता है।

यदि चयनित वार्षिकी विकल्प ऊपर निर्दिष्ट विकल्प के अलावा कोई अन्य है, तो पॉलिसी के अभ्यर्पण की अनुमति नहीं होगी।

अभ्यर्पण मूल्य की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

वार्षिकी विकल्प डी:

अभ्यर्पण मूल्य क्रय मूल्य के शेष (अर्थात क्रय मूल्य में से अभ्यर्पण की तिथि तक किए गए सभी वार्षिकी भुगतानों का योग घटाकर) को एसवी कारक से गुणा करने पर प्राप्त होने वाली राशि के बराबर होगा।

यदि अभ्यर्पण की तिथि तक किए गए सभी वार्षिकी भुगतानों की राशि क्रय मूल्य से अधिक हो जाती है, तो पॉलिसी के अभ्यर्पण पर कोई हितलाभ देय नहीं होगा।

वार्षिकी विकल्प ई1, ई2, ई3, ई4 और ई5:

अभ्यर्पण मूल्य (क्रय मूल्य में से अभ्यर्पण की तिथि तक पहले से ही भुगतान कर दिए गए क्रय मूल्य की प्रारंभिक वापसी की राशि, यदि कोई हो) को एसवी कारक से गुणा करने के फल के बराबर होगा।

यदि अभ्यर्पण की तिथि तक पहले से भुगतान कर दिए गए क्रय मूल्य की प्रारंभिक वापसी की राशि क्रय मूल्य से अधिक होती है, तो पॉलिसी के

अभ्यर्पण पर कोई हितलाभ देय नहीं होगा।

वार्षिकी विकल्प एफ और जे:

अभ्यर्पण मूल्य क्रय मूल्य को एसवी कारक से गुणा करने के फल के बराबर होगा।

अभ्यर्पण मूल्य कारक (एसवी कारक) उस पॉलिसी वर्ष पर निर्भर होता है, जिसमें पॉलिसी का अभ्यर्पण किया जाता है, जो निम्नानुसार होगा:

पॉलिसी वर्ष	एसवी कारक	पॉलिसी वर्ष	एसवी कारक
1	80.00%	12	85.50%
2	80.50%	13	86.00%
3	81.00%	14	86.50%
4	81.50%	15	87.00%
5	82.00%	16	87.50%
6	82.50%	17	88.00%
7	83.00%	18	88.50%
8	83.50%	19	89.00%
9	84.00%	20	89.50%
10	84.50%	21 और उससे अधिक	90.00%
11	85.00%		

हालाँकि, यदि पॉलिसी का अभ्यर्पण 35 पॉलिसी वर्ष पूरे होने के बाद या 100 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद किया जाता है तो लागू एसवी कारक 92.50% के बराबर होगा।

अभ्यर्पण मूल्य के भुगतान पर, पॉलिसी समाप्त हो जाती है और अन्य सभी हितलाभ स्थगित हो जाते हैं।

अभ्यर्पण मूल्य की समीक्षा की जा सकती है और इसे निगम द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा।

यदि कोई पॉलिसी एनपीएस सबस्क्राइबर द्वारा या क्यूआरओपीएस के रूप में ली गई है, तो पॉलिसी का अभ्यर्पण भी पीएफआरडीए या एचएमआरसी, जैसा भी लागू हो, के विशिष्ट प्रावधानों के अधीन होगा।

टिप्पणी: बीमा पॉलिसी एक दीर्घकालीन अनुबंध है, इसलिए पॉलिसी को जारी रखने के दीर्घकालीन दृष्टिकोण से लिया जाना चाहिए। जबकि ऊपर वर्णित विभिन्न वार्षिकी विकल्पों के अंतर्गत अभ्यर्पण का प्रावधान है, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पॉलिसी के अभ्यर्पण पर महत्वपूर्ण नुकसान हो सकता है और इसलिए, पॉलिसी को जारी रखना उचित होता है।

11. ऋण:

ऋण सुविधा पॉलिसी के पूर्ण होने से तीन महीने बाद (यानी पॉलिसी के जारी होने की तिथि से तीन महीने के बाद) या मुक्त अवलोकन अवधि की समाप्ति के बाद, जो भी बाद में हो, किसी भी समय उपलब्ध होगी, जो कि निगम द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन होगी।

ऋण केवल वार्षिकी विकल्प – ई1, ई2, ई3, ई4, ई5, एफ और जे के अंतर्गत ही उपलब्ध होगा।

संयुक्त जीवन वार्षिकी विकल्प के अंतर्गत ऋण सुविधा का लाभ प्राथमिक वार्षिकीग्राही द्वारा लिया जा सकता है तथा प्राथमिक वार्षिकीग्राही की मृत्यु की स्थिति में इसका लाभ द्वितीयक वार्षिकीग्राही द्वारा लिया जा सकता है।

पॉलिसी के अंतर्गत दी जाने वाली ऋण की अधिकतम राशि ऐसी होगी कि ऋण पर देय प्रभावी वार्षिक ब्याज राशि वार्षिक वार्षिकी राशि के 50% से अधिक नहीं हो और वह पॉलिसी के अभ्यर्पण मूल्य के अधिकतम 80% के अधीन होगी।

ऋण पर ब्याज को पॉलिसी के अंतर्गत देय वार्षिकी राशि से वसूल किया जाएगा। ऋण पर ब्याज पॉलिसी के अंतर्गत वार्षिकी भुगतान की आवृत्ति के अनुसार अर्जित होगा और यह वार्षिकी की नियत तिथि पर देय होगा। बकाया ऋण की वसूली निकास के समय दावे की आय से या पॉलिसी के अंतर्गत क्रय मूल्य की प्रारंभिक वापसी, यदि कोई हो, से की जाएगी।

1 मई से 30 अप्रैल तक की 12 महीने की अवधि के दौरान शुरू होने वाले सभी ऋणों के लिए ऋण ब्याज दर वार्षिक प्रभावी दर होगी जो 10 वर्ष की जी–सेक दर प्रति वर्ष चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक में 300 आधार अंक जोड़कर उसके योग से अधिक नहीं होगी। 10 वर्षीय जी–सेक दर पिछले वित्तीय वर्ष की अंतिम व्यापारिक तिथि के अनुसार होगी। गणना की गई ब्याज दर ऋण की पूरी अवधि के लिए लागू होगी।

1 मई, 2024 से 30 अप्रैल, 2025 तक की 12 महीने की अवधि के दौरान स्वीकृत ऋण के लिए, लागू ब्याज दर ऋण की पूरी अवधि के लिए अर्ध–वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 9.50% प्रति वर्ष है।

पॉलिसी ऋण के लिए ब्याज दर के निर्धारण का आधार परिवर्तन के अधीन है।

यदि कोई पॉलिसी एनपीएस ग्राहक द्वारा या क्यूआरओपीएस के रूप में ली जाती है, तो पॉलिसी ऋण भी पीएफआरडीए या एचएमआरसी, जैसा भी लागू हो, के विशिष्ट प्रावधानों के अधीन होगा।

12. नमूने हेतु वार्षिकी राशियाँ :

क्रय मूल्य	रु. 10 लाख (लागू करों को छोड़कर)
वार्षिकी भुगतान की विधि	वार्षिक
वार्षिकीग्राही/प्राथमिक वार्षिकीग्राही की आयु	60 वर्ष (पूर्णकृत)
द्वितीयक वार्षिकीग्राही की आयु (केवल संयुक्त जीवन वार्षिकी विकल्पों के लिए लागू)	55 वर्ष (पूर्णकृत)
वितरण चैनल	अभिकर्ता/मध्यस्थ
नवीन ग्राहक/मौजूदा ग्राहक	नवीन ग्राहक

वार्षिकी विकल्प		**वार्षिक वार्षिकी राशि (रु.)**
विकल्प–ए	जीवन वार्षिकी	85,000
विकल्प–बी1	5 वर्ष और उसके बाद जीवन के लिए निश्चित वार्षिकी	84,500
विकल्प–बी2	10 वर्ष और उसके बाद जीवन के लिए निश्चित वार्षिकी	83,200
विकल्प–बी3	15 वर्ष और उसके बाद जीवन के लिए निश्चित वार्षिकी	81,400
विकल्प–बी4	20 वर्ष और उसके बाद जीवन के लिए निश्चित वार्षिकी	79,200
विकल्प–सी1	3% प्रति वर्ष की साधारण दर से बढ़ने वाली जीवन वार्षिकी	66,200
विकल्प–सी2	6% प्रति वर्ष की साधारण दर से बढ़ने वाली जीवन वार्षिकी	54,800
विकल्प–डी	शेष क्रय मूल्य की वापसी के साथ जीवन वार्षिकी	81,700
विकल्प–ई1	75 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद क्रय मूल्य पर 50% वापसी के साथ जीवन वार्षिकी	57,900
विकल्प–ई2	75 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद क्रय मूल्य पर 100% वापसी के साथ जीवन वार्षिकी	51,000
विकल्प–ई3	80 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद क्रय मूल्य पर 50% वापसी के साथ जीवन वार्षिकी	61,400

विकल्प–ई4	80 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद क्रय मूल्य पर 100% वापसी के साथ जीवन वार्षिकी	57,900
विकल्प–ई5	76 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद से 95 वर्ष तक प्रत्येक वर्ष क्रय मूल्य पर 5% की वापसी के साथ जीवन वार्षिकी	60,900
विकल्प–एफ	क्रय मूल्य की वापसी के साथ जीवन वार्षिकी	64,900
विकल्प–जी1	संयुक्त जीवन वार्षिकी, जिसमें प्राथमिक वार्षिकीधारक की मृत्यु पर द्वितीयक वार्षिकीधारक को वार्षिकी का 50% देने का प्रावधान है।	78,900
विकल्प–जी2	संयुक्त जीवन वार्षिकी, जिसमें प्राथमिक वार्षिकीधारक की मृत्यु पर द्वितीयक वार्षिकीधारक को वार्षिकी का 100% देने का प्रावधान है।	74,000
विकल्प–एच1	3% प्रति वर्ष की साधारण दर से बढ़ने वाली संयुक्त जीवन वार्षिकी, जिसमें प्राथमिक वार्षिकीधारक की मृत्यु पर द्वितीयक वार्षिकीधारक को वार्षिकी का 50% देने का प्रावधान है।	60,200
विकल्प–एच2	6% प्रति वर्ष की साधारण दर से बढ़ने वाली संयुक्त जीवन वार्षिकी, जिसमें प्राथमिक वार्षिकीधारक की मृत्यु पर द्वितीयक वार्षिकीधारक को वार्षिकी का 50% देने का प्रावधान है।	49,400
विकल्प–आई1	3% प्रति वर्ष की साधारण दर से बढ़ने वाली संयुक्त जीवन वार्षिकी, जिसमें प्राथमिक वार्षिकीधारक की मृत्यु पर द्वितीयक वार्षिकीधारक को वार्षिकी का 100% देने का प्रावधान है।	55,600
विकल्प–आई2	6% प्रति वर्ष की साधारण दर से बढ़ने वाली संयुक्त जीवन वार्षिकी, जिसमें प्राथमिक वार्षिकीधारक की मृत्यु पर द्वितीयक वार्षिकीधारक को वार्षिकी का 100% देने का प्रावधान है।	45,100
विकल्प–जे	संयुक्त जीवन वार्षिकी, जिसमें वार्षिकी का 100% भुगतान का प्रावधान है, जब तक कि वार्षिकीधारकों में से कोई भी जीवित रहता है, और अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु पर क्रय मूल्य की वापसी होती है।	64,300

उपरोक्त वार्षिकी विकल्पों के अंतर्गत मृत्यु हितलाभ के लिए कृपया उपरोक्त अनुच्छेद 4 देखें।

13. परिवर्तन:

वार्षिकी भुगतान की विधि को पॉलिसी खरीदने के समय ही चुना जाना चाहिए। हालाँकि, पॉलिसीधारक को निम्नलिखित शर्तों के अधीन वार्षिकी भुगतान की विधि में परिवर्तन करने की अनुमति है:

i. विधि में कोई भी परिवर्तन करने के अनुरोध के तुरंत बाद आने वाली पॉलिसी वर्षगाँठ से प्रभावी होगा, बशर्ते निगम को ऐसा अनुरोध उस पॉलिसी वर्षगाँठ से कम से कम 90 दिन पहले प्राप्त हुआ हो।

ii. पॉलिसीधारक को पॉलिसी के अंतर्गत केवल दो बार वार्षिकी भुगतान की विधि को कम आवृत्ति से अधिक आवृत्ति (उदाहरण के लिए, वार्षिक से मासिक) में बदलने की अनुमति है। हालांकि, वार्षिकी भुगतान की विधि को अधिक आवृत्ति से कम आवृत्ति (उदाहरण के लिए, मासिक से त्रैमासिक) में कई बार बदलने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

14. कुछ घटनाओं में ज़ब्ती:

यदि यह पाया जाता है कि प्रस्ताव, व्यक्तिगत विवरण, घोषणा और संबंधित दस्तावेजों में कोई असत्य या गलत कथन निहित है या कोई महत्वपूर्ण जानकारी रोककर रखी गई है, तो ऐसे प्रत्येक मामले में पॉलिसी शून्य हो जाएगी और इसके आधार पर किसी भी लाभ के सभी दावे समय-समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधानों के अधीन होंगे।

15. पॉलिसी की समाप्ति:

निम्नांकित में से कोई भी घटना सबसे पहले होने पर यह पॉलिसी तुरंत एवं स्वत: समाप्त हो जाएगी:

(ए) वह तिथि, जिस दिन एकमुश्त मृत्यु हितलाभ/मृत्यु हितलाभ की अंतिम किस्त का भुगतान किया जाता है; या

(बी) मृत्यु की तिथि, यदि कोई मृत्यु हितलाभ देय नहीं है; या

(सी) वह तिथि, जिस दिन पॉलिसी के अंतर्गत अभ्यर्पण हितलाभ का निपटान किया जाता है; या

(डी) नि:शुल्क अवलोकन निरस्तीकरण राशि के भुगतान पर; या

(ई) अनुच्छेद 14 में निर्दिष्ट जब्ती की स्थिति में

16. कर:

भारत सरकार या भारत के किसी अन्य संवैधानिक कर प्राधिकरण द्वारा ऐसी बीमा योजनाओं पर लगाए गए वैधानिक कर, यदि कोई हों, कर कानूनों के अनुसार होंगे और कर की दर समय-समय पर लागू अनुसार होगी।

मौजूदा दरों के अनुसार, किसी भी लागू कर की राशि पॉलिसीधारक द्वारा क्रय मूल्य पर देय होगी, जिसे पॉलिसीधारक द्वारा देय क्रय मूल्य के अतिरिक्त अलग से लिया जाएगा। भुगतान किए गए कर की राशि को योजना के अंतर्गत देय लाभों की गणना के लिए नहीं माना जाएगा।

इस योजना के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली प्रीमियम(मों) एवं देय हितलाभों पर आयकर लाभों/निहितार्थों के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने कर सलाहकार से परामर्श करें।

17. नि:शुल्क अवलोकन अवधि:

यदि पॉलिसीधारक पॉलिसी के ''नियमों व शर्तों'' से संतुष्ट नहीं है, तो उसके द्वारा अपनी आपत्तियों के कारण बताते हुए, इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक विधि से पॉलिसी बॉन्ड प्राप्त होने की तिथि, जो भी पहले हो, से 30 दिनों के भीतर पॉलिसी निगम को वापस की जा सकती है। इसकी प्राप्ति पर निगम द्वारा पॉलिसी को निरस्त कर दिया जाएगा और स्टाम्प ड्यूटी और भुगतान की गई वार्षिकी, यदि कोई हो, के लिए शुल्क काटने के बाद भुगतान की गई क्रय मूल्य को वापस किया जाएगा।

नि:शुल्क अवलोकन अवधि की शर्त केवल तत्काल वार्षिकी योजना की नई खरीद के मामले में लागू होगी। नि:शुल्क अवलोकन निरस्तीकरण उस स्थिति में लागू नहीं होगा, जहाँ खरीद निगम के आस्थगित पेंशन उत्पादों या समूह सुपरएनुएशन योजनाओं की आय से की जाती है, जिनमें वार्षिकीकरण अनिवार्य होता है।

जहाँ कहीं भी खरीद मौजूदा फंड से की गई हो, नि:शुल्क अवलोकन निरस्तीकरण के मामले में ऐसी पॉलिसियों पर निम्नानुसार व्यवहार होगा:

ए) यदि यह पॉलिसी किसी जीवन बीमा कंपनी की आस्थगित पेंशन योजना की आय से खरीदी गई है, तो निरस्तीकरण से प्राप्त आय उस जीवन बीमा कंपनी को वापस हस्तांतरित कर दी जाएगी।

बी) यदि यह पॉलिसी क्यूआरओपीएस के रूप में खरीदी गई है, तो निरस्तीकरण से प्राप्त राशि केवल उस फंड हाउस को वापस हस्तांतरित की जाएगी, जहाँ से धन प्राप्त हुआ था।

सी) यदि यह पॉलिसी एनपीएस ग्राहक द्वारा खरीदी गई है, तो निरस्तीकरण से प्राप्त राशि केवल उसी एनपीएस फंड में वापस स्थानांतरित की जाएगी, जहाँ से मूल रूप से धन प्राप्त हुआ था।

यदि कोई पॉलिसी एनपीएस ग्राहक द्वारा या क्यूआरओपीएस के रूप में ली जाती है, तो मुक्त अवलोकन अवधि भी पीएफआरडीए या एचएमआरसी, जैसा भी लागू हो, के विशिष्ट प्रावधानों के अधीन होगी।

18. शिकायत निवारण तंत्रः

निगम की:

ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए निगम के शाखा/मंडल/क्षेत्रीय/केंद्रीय कार्यालय में शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ) मौजूद हैं। ग्राहक हमारी वेबसाइट (https://licindia.in/web/guest/grievances) पर जाकर जीआरओ के नाम और संपर्क जानकारी तथा शिकायत–संबंधी अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

ग्राहकों की शिकायतों का शीघ्र निवारण सुनिश्चित करने के लिए निगम ने हमारे ग्राहक पोर्टल (वेबसाइट) http://www.licindia.in के ज़रिए ग्राहक–अनुकूल एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली आरंभ की है, जहाँ पंजीकृत पॉलिसीधारक सीधे शिकायत/परिवाद दर्ज कर सकता है और उसकी स्थिति का पता लगा सकता है। ग्राहक अपनी सभी शिकायतों के निवारण के लिए ई–मेल आईडी co_complaints@licindia.com पर भी संपर्क कर सकते हैं।

मृत्यु दावा निरस्तीकरण के निर्णय से असंतुष्ट दावेदारों के पास अपने मामलों के पुनर्विचार के लिए उन्हें क्षेत्रीय कार्यालय दावा विवाद निवारण समिति या केंद्रीय कार्यालय दावा विवाद निवारण समिति को भेजने का विकल्प है। एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय/ज़िला न्यायालय का न्यायाधीश हर दावा विवाद निवारण समिति का सदस्य होता है।

आईआरडीआई का:

अगर कोई ग्राहक हमसे प्राप्त उत्तर से संतुष्ट नहीं है या उसे 15 दिनों के अंदर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो वह निम्नलिखित में से किसी भी माध्यम से पॉलिसीधारक सुरक्षा एवं शिकायत निवारण विभाग से सम्पर्क कर सकता है:

i) टोल–फ्री नंबर 155255/18004254732 (अर्थात आईआरडीआई शिकायत कॉल सेंटर–(बीमा भरोसा शिकायत निवारण केंद्र)) पर कॉल करना

ii) complaints@irdai.gov.in पर ईमेल भेजना

iii) https://bimabharosa.irdai.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना

iv) कूरियर/पत्र के ज़रिए शिकायत भेजने का पता: महाप्रबंधक, पॉलिसीधारक संरक्षण और शिकायत निवारण विभाग, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, सर्वे नंबर 115/1, वित्त ज़िला, नानकरामगुडा, गाचीबोवली, हैदराबाद–500032, तेलंगाना।

लोकपाल:

दावा संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए, दावाकर्ता बीमा लोकपाल से भी संपर्क कर सकते हैं, जहाँ ग्राहकों को कम से कम खर्च में त्वरित निर्णय मिलता है।

बीमा अधिनियम, 1938 का अनुच्छेद 45

बीमा अधिनियम, 1938 के अनुच्छेद 45 के प्रावधान समय–समय पर यथा संशोधित रूप में लागू होंगे। इसके वर्तमान प्रावधान इस प्रकार हैं:

(1) जीवन बीमा की किसी भी पॉलिसी पर पॉलिसी की तारीख से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी आधार पर कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा, अर्थात पॉलिसी के जारी होने की तारीख से या जोखिम के आरंभ होने की तारीख से या पॉलिसी के पुनर्चलन की तारीख से या पॉलिसी के लिए राइडर जोड़े जाने की तारीख से, जो भी बाद में हो।

(2) धोखाधड़ी के आधार पर जीवन बीमा की किसी भी पॉलिसी पर पॉलिसी के जारी होने की तारीख से या जोखिम के आरंभ होने की तारीख से या पॉलिसी के पुनर्चलन की तारीख से या पॉलिसी के लिए राइडर जोड़े जाने की तारीख से, जो भी बाद में हो, तीन वर्षों के भीतर किसी भी समय सवाल उठाया जा सकता है:

बशर्ते कि बीमाकर्ता को लिखित में बीमित व्यक्ति या बीमित व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधियों या नामितियों या समनुदेशितियों को उन आधारों और तथ्यों के बारे लिखित में सूचित करना होगा, जिन पर ऐसा निर्णय आधारित है।

स्पष्टीकरण I– इस उपधारा के उद्देश्यों के लिए, ''धोखाधडी'' शब्द का मतलब बीमित व्यक्ति या उसके एजेंट द्वारा बीमाकर्ता को धोखा देने या बीमाकर्ता को जीवन बीमा पॉलिसी जारी करने के लिए उकसाने की मंशा से किए गए निम्नांकित में से किसी भी कार्य से है:–

(ए) तथ्य के रूप में किसी ऐसे विचार का सुझाव देना जो सत्य नहीं है और जिसे बीमित व्यक्ति सत्य नहीं मानता है;

(बी) बीमित व्यक्ति द्वारा किसी तथ्य को सक्रिय रूप से छिपाना जबकि उसे उस तथ्य का ज्ञान हो या उसकी वास्तविकता का विश्वास हो;

(सी) कोई और कृत्य जो धोखा देने के लिए उपयुक्त हो; और

(डी) ऐसा कोई कृत्य या भूल–चूक जिसे कानून द्वारा विशिष्ट रूप से धोखाधड़ी घोषित किया गया हो।

स्पष्टीकरण II– ऐसे तथ्यों के बारे में मात्र मौन रहना जिनसे बीमाकर्ता द्वारा जोखिम के मूल्यांकन के प्रभावित होने की संभावना हो, तब तक धोखाधडी

नहीं है, जब तक कि मामले की परिस्थितियाँ ऐसी न हों कि यदि उन पर ध्यान दिया जाए, तो बीमित व्यक्ति या उसके एजेंट का यह कर्त्तव्य है कि वह बोलने से मौन रहे या जब तक कि उसका मौन रहना अपने आप में ही बोलने के समतुल्य न हो।

(3) उपधारा (2) में कोई भी बात शामिल होते हुए भी, कोई बीमाकर्ता धोखाधडी के आधार पर किसी जीवन बीमा पॉलिसी को अस्वीकृत नहीं करेगा, यदि बीमाकर्ता यह प्रमाणित कर सकता है कि गलतबयानी या महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया जाना उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य था या यह कि उस तथ्य को छिपाए जाने की कोई जान बूझ कर मंशा नहीं थी या यह कि गलतबयानी या महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया जाना बीमाकर्ता की जानकारी में था:

बशर्ते कि धोखाधडी की स्थिति में यदि पॉलिसीधारक जीवित नहीं है, तो झूठ को गलत साबित करने का दायित्व लाभार्थियों पर होता है।

स्पष्टीकरण – कोई व्यक्ति, जो बीमा के अनुबंध की माँग करता है या बातचीत करता है, वह अनुबंध करने के प्रयोजन के लिए बीमाकर्ता का एजेंट समझा जाएगा।

(4) जीवन बीमा की किसी भी पॉलिसी पर पॉलिसी के जारी होने की तारीख से या जोखिम के आरंभ होने की तारीख से या पॉलिसी के पुनर्चलन की तारीख से या पॉलिसी के लिए राइडर जोड़े जाने की तारीख से, जो भी बाद में हो, इस आधार पर कि बीमाकर्ता के जीवन की प्रत्याशा के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य के किसी कथन को छिपाने का कथन प्रस्ताव में या अन्य दस्तावेज़ पर गलत ढंग से किया गया था जिसके आधार पर पॉलिसी जारी की गई थी या पुनर्जीवित की गई थी या राइडर जारी किया गया था, तीन वर्षों के भीतर किसी भी समय सवाल उठाया जा सकता है:

बशर्ते कि बीमाकर्ता को लिखित में बीमित व्यक्ति या बीमित व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधियों या नामितियों या समनुदेशितियों को उन आधारों और तथ्यों के बारे में सूचित करना होगा, जिनके आधार पर जीवन बीमा पॉलिसी को अस्वीकृत का ऐसा निर्णय लिया गया है।

बशर्ते महत्वपूर्ण तथ्य की गलतबयानी या छिपाने के आधार पर पॉलिसी को अस्वीकृत करने की स्थिति में, न कि धोखाधडी के आधार पर, अस्वीकृत की तारीख तक पॉलिसी पर लिए गए प्रीमियम बीमित व्यक्ति या विधिक प्रतिनिधियों या नामांकित व्यक्तियों या समनुदेशितियों को ऐसे अस्वीकृति की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर अदा किए जाएँगे।

स्पष्टीकरण – इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए तथ्य का मिथ्या कथन या छिपाया जाना तब तक महत्वपूर्ण नहीं समझा जाएगा जब तक बीमाकर्ता द्वारा

स्वीकार किए गए जोखिम पर इसका सीधा प्रभाव नहीं पड़ता हो, बीमाकर्ता पर यह प्रमाणित करने का दायित्व है कि यदि बीमाकर्ता उक्त तथ्य से अवगत होता, तो बीमित व्यक्ति को कोई जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं की जाती।

(5) इस धारा में शामिल कोई भी बात बीमाकर्ता को किसी भी समय आयु का प्रमाण मांगने से रोक नहीं सकेगी यदि वह ऐसा करने का हकदार हो, और किसी भी पॉलिसी को सिर्फ़ इस कारण प्रश्नगत किया गया नहीं समझा जाएगा कि पॉलिसी की शर्तें बाद में यह प्रमाणित किए जाने पर ठीक कर ली गई हैं कि बीमित व्यक्ति की आयु प्रस्ताव में गलत बताई गई थी।

छूटों की निषिद्धता (बीमा अधिनियम, 1938 का अनुच्छेद 41)

1) कोई भी व्यक्ति, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, किसी भी व्यक्ति को भारत में जीवन या संपत्ति से जुड़े किसी भी तरह के जोखिम के संबंध में कोई बीमा लेने या नवीकृत करने या जारी रखने हेतु, प्रलोभन के रूप में, देय कमीशन पर संपूर्ण या आंशिक रियायत या पॉलिसी में दर्शाए गए प्रीमियम पर किसी भी रियायत की अनुमति नहीं देगा या अनुमति देने का प्रस्ताव नहीं देगा और न ही पॉलिसी लेने या नवीकृत करने या जारी रखने वाला कोई व्यक्ति कोई भी रियायत स्वीकार करेगा, सिवाए उस रियायत के जिसकी अनुमति बीमाकर्ता के प्रकाशित सूचीपत्रों या सारणियों के अनुसार दी जा सकती है।

2) इस धारा के प्रावधानों का अनुपालन न करने वाले व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जाएगा, जो कि दस लाख रुपये तक हो सकता है।

बीमा अधिनियम, 1938 की विभिन्न धाराएँ जो एलआईसी पर लागू हैं, समय–समय पर किए गए संशोधन के अनुसार लागू होंगी।

इस उत्पाद विवरणिका में इस योजना की केवल मुख्य विशेषताएं दी गई हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.licindia.in पर पॉलिसी दस्तावेज़ देखें या हमारे निकटतम शाखा कार्यालय से संपर्क करें।

फर्जी फोन कॉल एवं नकली/धोखाधड़ीपूर्ण प्रस्तावों से सावधान

आईआरडीएआई या इसके अधिकारी बीमा व्यवसाय की किसी भी गतिविधि, जैसे बीमा पॉलिसियाँ बेचना, बोनस की घोषणा करना या प्रीमियम का निवेश करना, राशि वापस करना आदि में शामिल नहीं होते हैं। पॉलिसीधारकों या ऐसे फ़ोन कॉल प्राप्त करने वाले संभावित ग्राहकों से अनुरोध है कि वे इसकी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाएँ।

भारतीय जीवन बीमा निगम

''भारतीय जीवन बीमा निगम'' की स्थापना जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 1 सितम्बर, 1956 को की गई थी, जिसका उद्देश्य देश के समस्त बीमा योग्य व्यक्तियों तक पहुँचने और उन्हें बीमित घटनाओं के लिए पर्याप्त आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लक्ष्य से जीवन बीमा का दूर–दूर तक, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसार करना था। भारतीय बीमा के उदारीकृत परिदृश्य में भी एलआईसी प्रमुख जीवन बीमाकर्ता बना हुआ है और अपने पिछले रिकॉर्ड से भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए एक नए विकास पथ पर तेज़ी से आगे कदम बढ़ा रहा है। छः दशकों से भी ज़्यादा समय से अपने अस्तित्व में, एलआईसी ने परिचालन के विभिन्न क्षेत्रों में दृढ़ता से अपना उत्तरोत्तर विकास किया है।

पंजीकृत कार्यालय:

भारतीय जीवन बीमा निगम

केंद्रीय कार्यालय,
योगक्षेम, जीवन बीमा मार्ग, मुंबई – 400021.
वेबसाइट: www.licindia.in
पंजीकरण संख्या: 512